आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ (एसएस). अ. सं. 109 से 112 /इंदौर /2014
तथा आ.अ.सं. 255/इंदौर/2014
निर्धारण वर्ष : 2006-07 से 2010-11

सहायक आयकर आयुक्त 3 (1), भोपाल	बनाम	मे.ख्याति फूड्स प्रा.लि., भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएसीसीके 3915 बी		

प्रत्याक्षेप सं. 18 से 22/इंदौर/2014
(आ (एसएस). अ. सं. 109 से 112 /इंदौर /2014
तथा आ.अ.सं. 255/इंदौर/2014 से उद्भूत)
निर्धारण वर्ष : 2006-07 से 2010-11

मे.ख्याति फूड्स प्रा.लि., भोपाल	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त 3 (1), भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएसीसीके 3915 बी		

आ (एसएस). अ. सं. 158 से 162/इंदौर /2014
निर्धारण वर्ष : 2006-07 से 2010-11

सहायक आयकर आयुक्त 3 (1), भोपाल	बनाम	मे. एपीआई एग्रो पॉवर लिमिटेड, भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएएफसीए 5043 एफ		

प्रत्याक्षेप सं. 43/ इंदौर/2014
(आ (एसएस). अ. सं. 161/इंदौर /2014 से उद्धृत)
निर्धारण वर्ष : 2009-10

मे. एपीआई एग्रो पॉवर लिमिटेड, भोपाल	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त 3 (1), भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएएफसीए 5043 एफ		

आ (एसएस). अ. सं. 199 से 203/इंदौर /2014
तथा आ.अ.सं. 438/इंदौर/2014
निर्धारण वर्ष : 2005-06 से 2010-11

आयकर उपायुक्त 3 (1), भोपाल	बनाम	मे. एपी इंडिया बायोटेक प्रा.लि., भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएसीसीए 9055 ए		

प्रत्याक्षेप सं. 45 से 48 / इंदौर/2014
(आ (एसएस). अ. सं. 200 से 203/इंदौर /2014 से उद्धृत)
निर्धारण वर्ष : 2006-07 से 2009-10

मे. एपी इंडिया बायोटेक प्रा.लि., भोपाल	बनाम	आयकर उपायुक्त 3 (1), भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएसीसीए 9055 ए		

राजस्व की ओर से :	श्री राजीब जैन, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
निर्धारितियों की ओर से :	सर्वश्री सुमित नेमा, वरिष्ठ एडवोकेट तथा गगन तिवारी, एडवोकेट

सुनवाई तिथि	:	14.02.2019
उद्घघोषणा तिथि	:	14.02.2019

आदेश

न्यायपीठ द्वारा

ये अपीलें/प्रत्याक्षेप राजस्व तथा उपर्युक्त सुसंगत निर्धारितियों द्वारा अलग-अलग निर्धारण वर्षों से संबंधित विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-II, भोपाल के अलग-अलग आदेशों क्रमशः दिनांक 23.01.2014, 13.02.2014 तथा 19.03.2014 विरूध्द दाखिल किए गए हैं ।

2. सुनवाई के दौरान, संबंधित निर्धारितियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विभागीय अपीलों में कर प्रभाव विनिहित सीमा से कम है अतः सी.बी.डी.टी द्वारा जारी अनुदेशों तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की दृष्टि में विभाग को ये अपीलें दाखिल नहीं करना चाहिए थी ।

3. विद्वान विभागीय प्रतिनिधि अभिलेख पर कोई प्रतिकूल सामग्री लाकर इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके ।

4. हमने अभिलेख का अध्ययन किया है । हमने पाया कि इन प्रकरणों में अंतर्ग्रस्त कर विनिहित सीमा अर्थात 20 लाख से कम है जैसा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिपत्र सं. 3/2018 दिनांक 11.07.2018 में निहित है । आयकर अधिनियम की धारा 268 ए के अधीन दी गई शक्तियों के अनुपालन में अधिकरण के समक्ष कोई अपील दाखिल नहीं की

जानी चाहिए यदि कर प्रभाव रू. 20 लाख से अधिक नहीं है । इस संबंध में "कर प्रभाव" का अर्थ निर्धारित कुल आय पर कर तथा उस कर के बीच का अंतर है जो प्रभार्य होता यदि कुल आय में से उन मुद्दों से संबंधित आय, जिनके विरूध्द अपील दाखिल करना आशयित है, को घटाया गया होता । यह परिपत्र इसके अतिरिक्त कथन करता है कि कर में उस पर कोई ब्याज शामिल नहीं होगा, सिवाए उसके जहाँ ब्याज की प्रभार्यता स्वयं ही विवादाधीन है । हमने इसके अतिरिक्त पाया कि परिपत्र के परिच्छेद 13, जो निम्न रूप से उद्धृत है, में यह उल्लिखित है कि यह अनुदेश लंबित अपीलों पर भी लागू होगा ।

> *" यह परिपत्र इसके आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय / अधिकरण के समक्ष दाखिल एसएलपी/अपीलों/प्रत्याक्षेपों/ संदर्भों पर लागू होगा और यह भूतलक्षी रूप से लंबित एसएलपी/अपीलों/प्रत्याक्षेपों/ संदर्भों पर लागू होगा । ऊपर परिच्छेद 3 में विनिर्दिष्ट कर सीमा के नीचे की लंबित अपील को वापिस लिया जाए/ दबाव नहीं डाला जाए । "*

5. आक्षेपित प्रकरणों में, हमने पाया कि विवादाधीन मुद्दे रू. 20 लाख से अधिक नहीं है । इस तथ्य की दृष्टि में, अनुदेश के अनुसार राजस्व को इन अपीलों पर दबाव डालना अपेक्षित नहीं है । अतः, हम राजस्व द्वारा दाखिल अपीलों को प्रकरण के गुणागुण पर विचार किए बिना आरंभतः खारिज करते है क्योंकि हमारे मत से सीबीडीटी द्वारा जारी परिपत्र अधिनियम की धारा 268ए(1) के उपबंधों की दृष्टि में विभागीय अधिकारियों के लिए अनिवार्य है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नवनीत लाल झवेरी बनाम एएसी 56 आईटीआर 198 (एससी) प्रकरण में कथित दृष्टिकोण लिया गया है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्टर ऑफ इंकम टैक्स बनाम एस.आर.एम.बी डेयरी फार्मिंग (प्रा) लि. के प्रकरण में सिविल अपील सं. 19650/2017 में राजस्व की अपील खारिज करते समय आयकर आयुक्त सेन्ट्रल-III बनाम सूर्या हर्बल्स लि. के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश न्यायपीठ निर्णय का अनुसरण किया है और अभिधारित किया है कि परिपत्र लंबित मामलों पर भी लागू होगा । तद्नुसार, हम राजस्व द्वारा दाखिल अपीलें पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज करते हैं । यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्व विविध आवेदन

(एमए) दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है यदि ये प्रकरण अपवाद खंड (exception clause) के अधीन आते हैं । इस संबंध में हम यह स्पष्ट करना चाहते है कि हमने परिवर्धनों के गुणागुण पर कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया है । राजस्व की अपीलें केवल इस आधार पर खारिज की गई हैं कि वे सीबीडीटी द्वारा परिपत्र सं. 3/2018 दिनांक 11.07.2018 में विनिहित आर्थिक सीमा की दृष्टि में पोषणीय नहीं हैं । इन अपीलों को खारिज किए जाने का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस अधिकरण ने परिवर्धनों का गुणागुण पर परीक्षण किया है और इसे किसी भी अन्य विधि के अधीन किसी कार्यवाही के उद्देश्य से निर्धारिती को सहायता के रूप में नहीं माना जाना चाहिए ।

6. निर्धारितियों द्वारा दाखिल उपरोक्त प्रत्याक्षेपों के संबंध में निर्धारितियों के विद्वान अधिवक्ता ने सुनवाई के प्रारंभ में ही निवेदन किया कि जहाँ तक उपरोक्त प्रत्याक्षेपों में अंतर्ग्रस्त परिवर्धनों का संबंध है, विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने अपीलीय कार्यवाही के दौरान निर्धारितियों को संबंधित व्यक्तियों का प्रतिपरीक्षण करने का अवसर नहीं देकर सुनवाई का उचित तथा तर्कसंगत अवसर प्रदान नहीं किया था । अतः, निर्धारितियों के विद्वान अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि इन प्रत्याक्षेपों को नये सिरे से न्यायनिर्णयन हेतु विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) की फाईल में प्रतिप्रेषित किया जाए ।

7 दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेशों पर निर्भरता रखी परंतु अभिलेख पर कोई प्रतिकूल सामग्री लाकर निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों का खंडन नहीं कर पाये ।

8. उपरोक्त की दृष्टि में, हम इस मामले में गुणागुण का अध्ययन किए बिना, प्रत्याक्षेपों में उठाये गये मुद्दों पर विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेशों को अपास्त करते हैं तथा इन्हें विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) की फाईल में पुनःस्थापित करते हैं । विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) निर्धारिती को सुनवाई तथा प्रतिपरीक्षण, जहाँ कही आवश्यक हो, का उचित अवसर देने के पश्चात प्रत्याक्षेप में उठाये गये मुद्दों को विधि के

अनुसार नये सिरे से न्यायनिर्णयित करेंगे । तद्नुसार, निर्धारिती द्वारा दाखिल प्रत्याक्षेप सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत किए जाते हैं ।

9. परिणामतः, राजस्व की अपीलें खारिज की जाती हैं तथा निर्धारितियों के प्रत्याक्षेप सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत किए जाते हैं ।

आदेश 14 .02.2019 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(मनीष बोरड)	(कुल भारत)
लेखा सदस्य	न्यायिक सदस्य

दिनांक : 14.02.2019

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल